न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 35/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 10.06.2020
निर्णय दिनांक– 16.09.2020

1. श्री विश्राम पिता हालिया मीणा, निवासी बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री बाबु पिता हालिया मीणा, निवासी बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कान्तिलाल पिता स्व. नाथा मीणा, निवासी बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री मणीलाल पिता स्व. नाथा मीणा, निवासी बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. बबली पिता स्व. नाथा मीणा, निवासी बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती पनी बेवा स्व. नाथा मीणा, निवासी बिछीवाडा तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. भूमिधारी, तहसीलदार, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री जितेन्द्र नाथ योगी : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री महेश भट्ट : अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 29.01.2020

निर्णय

दिनांक–16.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 29.01.2020 के विरूद्ध दिनांक 26.02.2020 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बीछीवाडा में उपखण्ड अधिकारी भू–आवंटन के आदेश संख्या 965–67/12–77 दिनांक 27.01.1977 के खसरा संख्या 57/1 रकबा 12 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त कराने अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा बिछीवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 2093–94/57/1 रकबा 12 बीघा कृषि भूमि पर अपीलांट का तकरीबन 40–50 वर्षो से निरंतर कब्जा चला आ रहा है और आज भी है। उक्त भूमि पर अपीलांट विश्राम एवं बाबुलाल का एक–एक पुराना मकान जिसमें बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, दो महुए के पेड, थूअर की बाड, नीम के पेड, चार खजूर पेड, रीजवा के पेड एवं बाथरूम आदी है तथा शेष भूमि पर अपीलांट मक्का, उडद एवं गेहूं की खेती कर भूमि क निरंतर उपयोग व उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर ने विपक्षीगण के पिता नाथा को आवंटित करते समय मौके की स्थिति देखे बगैर आवंटित कर दी। आवंटन के पश्चात आवंटी नाथा पिता हुजा अथवा रेस्पोडेंट कभी आवंटित भूमि पर काबिज नही हुए एवं ना ही भूमि पर आये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 29.01.2020 से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है *"उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपरांत अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण को मुख्य आपत्ति है कि ग्राम बिछीवाडा के ख.सं. 57/1 में रकबा 12 बीघा भूमि नाथा पिता पुंजा के नाम से आवंटित हुई थी किन्तु समान नाम नाथा का फायदा उठाते हुए रेकार्ड में नाथा पिता हुजा के नाम से गलत अंकन करवा लिया है। अपीलार्थीगण ने इसके लिये जिला रेकार्ड शाखा में दिनांक 27.01.1977*

के आवंटन की जमा कराई गई पत्रावलियों की प्रमाणित सूचि प्रस्तुत की है जिसकी क्रम संख्या 65 पर नाथ पिता पुंजा भी का नाम अंकित है। इसके अलावा तहसीलदार की रिपोर्ट में आवंटित भूमि पर अपीलार्थीगण का भी कब्जा होना बताते हुए इस बाबत फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना जाहीर किया गया। अपीलार्थीगण की ओर से इसके अलावा आवंटन संबंधी प्रक्रिया, नियमों अथवा अवंटान शर्तो की पालना नहीं होने या उनके उल्लंघन बाबत कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये है। अपीलार्थीगण की ओर से रेकार्ड जमा सूची में नाथा पिता पुंजा के नाम से रेकार्ड जमा होने का पुख्ता आधार माना है। तहसीलदार बिछीवाडा से विवेचित भूमि के ग्राम में नाथा पिता पूंजा नाम से व्यक्ति होने अथवा नहीं होने की जांच कराने पर उनके पत्र क्रमांक 556 दिनांक 11.12.2019 द्वारा रिपोर्ट पेश की है तद्नुसार पर्चा मौका दिनांक 10.12.2019 में ग्राम में नाथा पिता पूंजा नाम को काई नहीं होना दर्शाया गया है।

उक्त विवेचनानुसार ग्राम बिछीवाडा में नाथा पिता पूंजा नाम को कोई व्यक्ति नहीं होकर नाथा पिता हुजा नाम का ही व्यक्ति होकर आवंटन रेकार्ड जमा सूची में सहवन से हुजा के स्थान पूंजा अंकित हो जाना प्रतित होता है। आवंटन वर्ष 1977 में हुआ है तथा आवंटन के करीब 42 वर्षो बाद बगैर किसी अनियमितता के मात्र कयासी आधार पर आवंटन को निरस्त कराना किसी भी प्रकार से न्याया संगत नहीं होगा।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा मौजा विछीवाडा की आराजी नम्बर 57/1 में से रकबा 12 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हो जिसका नवीन आराजी संख्या 2093–94/57/1 कायम हुआ है, को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को एतद्द्वारा खारित (निरस्त) किया जाता है तथा रेस्पोडेंट के आवंटन को यथावत रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नाथ योगी उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री महेश भट्ट उपस्थित हुए। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.09.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के पिता/पति का नाम नाथा पिता हुजा है। आवंटन की पत्रावली चाहने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु रेकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ। रेकार्ड शाखा से जानकारी एवं नकल लेने पर जरिये प्रमाण पत्र संख्या 519 दिनांक 18.07.2016 के आवंटन नाथा पिता पूंजा के नाम जरिये मिसल संख्या 80 वर्ष 1977 में होना एवं रेकार्ड वीड हो जाना बतलाया गया। रेकार्ड जमा की सूची क्रमांक 65 मिसल संख्या 80 पर नाथा पिता पूंजा भी का नाम अंकित होना सूची की सत्यापित प्रति से प्रमाणित होता है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि वर्ष 1977 में नाथा पिता पूंजा भील के नाम से आवंटन हुआ था न कि नाथा पिता हुजा के नाम से। नाथा पिता हुजा ने समान नाम का फायदा उठाते हुए रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है तथा उसी आधार पर रेस्पोडंट ने अपने नाम पर विरासत का नामांतरकरण करवा लिया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का विगत करीब 40–50 वर्षो से उनके पूर्वजों के समय से ही काश्त कब्जा चला आ रहा है। मौके पर अपीलांट के मकानात बने हुए है, भूमि की सुरक्षा हेतु थूअर की बाड लगी है तथा काश्त फसल की गई है। तहसीलदार, बिछीवाडा की प्राप्त रिपोर्ट एवं पर्चा–मौका में अपीलांट का कब्जा प्रमाणित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट के खाते दर्ज ग्राम बिछीवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 2093–94/57/1 रकबा 12 बीघा का आवंटन निरस्त कराने बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस में बताया कि वर्ष 1977 में नाथा पिता हुजा के नाम से ही आवंटन हुआ है। ग्राम में नाथा पिता पूंजा के नाम को कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। नाथा पिता हुजा एवं नाथा पिता पूंजा एक ही व्यक्ति है, आवंटन का 42 वर्षो का समय होकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है जिससे अब आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को मौजा बिछीवाडा की आराजी सख्या 1998/86 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसे अपीलांट ने विक्रय कर दिया है तथा अब रेस्पोडेंट की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट का

आवेदन/अपील मेनो एवं बहस व समस्त परिवाद इस आधार पर अवलम्बित है कि आवंटन नाथा पिता पूंजा के नाम से हुआ जबकि रेस्पोंडेण्ट के पूर्वज का नाम नाथा पिता हुंजा है तथा आवंटन के बाद उसने शर्तों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर अपीलांट प्रार्थीगण काबिज है।

प्रकरण में मौका पर्चा एवं तथ्यों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि नाथा पिता पूंजा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में है ही नहीं, तद्नुसार आवंटन नाथा पिता हुंजा के नाम से होने को पूंजा व हुंजा लिखने की सद्भावी त्रुटि की है परन्तु इस त्रुटि से अपीलाण्ट को कोई व्यथा/परिवेदना होना विधिक रूप से उचित नहीं है। यह भी सुस्पष्ट है कि आवंटन वर्ष 1977 में हुआ है जिसे अर्सा 42 वर्ष गुजर चुके हैं। अब 42 वर्ष बाद जबकि आवंटी की मृत्यु होकर उसके वारिसान रेकर्ड पर आ चुके हैं तो अब इस आवंटन को इतने अर्से बाद चुनौती दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में जहां तक कब्जे का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि विधिक आवंटी की तुलना में अतिक्रमी का कोई **Locus Standi** नहीं होता तथा यदि आंशिक/पूर्ण भूमि पर अपीलांट या प्रार्थी काबिज भी हो जाते हैं तो उन्हें अतिक्रमी से अधिक नहीं माना जा सकता एवं किसी भूमि पर कब्जे अथवा अतिक्रमण के कारण विधिक आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं बनता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की समस्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए समग्र तथ्यों का विवेचन करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर